



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022 (फाल्गुन 30, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

#### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखेंगे।
- (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखेंगे।

#### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश का पालन उरगा थाना, जिला-कोरबा द्वारा नहीं किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री गुलाब कमरो, सदस्य, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वनमंडल मरवाही द्वारा पुलिया एवं स्टॉपडेम निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

#### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अरुण वोरा, सभापति, याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

#### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य, धरसीवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
  - (i) ग्राम जारा कुम्हारी में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम बंगोली में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,
  - (iii) ग्राम कोदवा में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

- (2) श्री चक्रधर सिंह सिदार, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत—
  - (i) ग्राम बसंतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
  - (ii) ग्राम घटगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
  - (iii) ग्राम पेलमा से मड़ियाकछार तक पक्की सड़क निर्माण करने,
- (3) श्री पुरुषोत्तम कंवर, सदस्य, कटघोरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —
  - (i) ग्राम बिरदा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने,
  - (ii) बांकीमोगरा में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,
- (4) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे से नागरकोहरा तक सड़क डामरीकरण करने,
- (5) श्रीमती ममता चन्द्राकर, सदस्य, पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —
  - (i) ग्राम कापादह से महका तक सड़क का पुनर्निर्माण करने,
  - (ii) ग्राम कुण्डा में महाविद्यालय खोलने,
  - (iii) ग्राम सुकलीगोविंद में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने,
- (6) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —
  - (i) ग्राम छाल में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने,
  - (ii) ग्राम पियाईदरहा से बुलेकेरा मार्ग पर पुलिया निर्माण करने,
  - (iii) ग्राम सकरलिया में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
  - (iv) ग्राम बंगरसुता में आश्रम शाला भवन निर्माण करने,
  - (v) ग्राम बहिरकेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने तथा
- (7) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचहा से लमती तक पहुंच मार्ग निर्माण करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय  
2 घंटे (1)

- 6. वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा**
- श्री टी. एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित—
- |             |    |   |
|-------------|----|---|
| मांग संख्या | 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय    |
| मांग संख्या | 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| मांग संख्या | 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण                   |
| मांग संख्या | 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय             |
| मांग संख्या | 7  | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)       |
| मांग संख्या | 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय     |

निर्धारित समय

2 घंटे 30 मिनट (2)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	65	विमानन विभाग

### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(4:00 बजे तक)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2022 (क्रमांक 4 सन् 2022) का पुरःस्थापन\* करेंगे।

### 8. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में कुपोषण से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की अकाल मृत्यु होने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

रायपुर,  
दिनांक 20 मार्च, 2022

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा

\* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्।